समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–**जमुआ**, थाना–**जमुआ**, थाना सं0–**353**, अंचल–**जमुआ**, जिला–गिरिडीह में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **ए0डी0बी0 सम्पोषित पचम्बा–जमुआ–श्रवण (पैकेज–2) पथ परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–**जमुआ**, थाना–**जमुआ**, थाना सं0–**353**, अंचल–**जमुआ**, जिला–गिरिडीह में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.4880** एकड़ यानि **0.1975** हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है............

क्र. सं.	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	17	175	रैयती	कृषि	0.1100	श्री विलटु यादव पिता स्व0 चमन महतो	सीमाना	नीज	प्लॉट सं. 192	प्लॉट सं. 175
2	7	220/1	रैयती	कृषि	0.0900	श्री कृष्ण देव राय पिता स्व0 षालीग्राम राय	शांति देवी	प्लॉट सं. 220	प्लॉट सं. 219	बैंकुण्ठ राय
3	7	220/2	रैयती	कृषि	0.0090	शांति देवी पति स्व0 मेघलाल राय	प्लॉट सं. 223	कृष्णदेव राय	प्लॉट सं. 219	बैंकुण्ठ राय
4	11	223/1	रैयती	कृषि	0.0450	बैकुण्ठ राय पिता स्व0 रीतो राय	प्लॉट सं. 223	प्लॉट सं. 220	कृष्णदेव राय	प्लॉट सं. 223
5	11	223/2	रैयती	कृषि	0.0300	सुधीर राय पिता मोही राय	नीज सुधीर राय	प्लॉट सं. 220	गिरिश राय	मोटा आर
6	11	223/3	रैयत	कृषि	0.0600	गिरिश राय पिता स्व0 गोवर्धन राय	प्लॉट सं. 223	प्लॉट सं. 220	प्लॉट सं. 223	मोटा आर
7	7	190	रैयती	कृषि	0.1440	विसुन देव राय पिता लाखेश्वर राय	सीमाना मघाखुर्द	192	192	नीज
कुल					**0.4880**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय

Scanned by CamScanner

में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेद्यन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह और उनके कर्मचारी.......................................को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनो) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अमीन गिरिडीह।	कानूनगो गिरिडीह।	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह।	अपर समाहर्त्ता गिरिडीह।	समाहर्त्ता, गिरिडीह।

ज्ञापांक 436 /भू0अ0 दिनांक 04-02-2020

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, जमुआ/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर निबंधक, जमुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह।	अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।	समाहर्त्ता, गिरिडीह।

Scanned by CamScanner